न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
105/16	27.7.16	30.3.22

उनवान

1. शाहबदीन पुत्र भीवा ।
2. रोशन खां पुत्र भीवा।
3. हिदायत खां पुत्र भीवा।
4. आमीन खां पुत्र भीवा ।
5. आसमदीन पुत्र भीवा जातियान मेव निवासीयान ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. रहमत खां पुत्र उम्मेद खां जाति मेव निवासी ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः— 1.श्री रतिराम चौधरी वकील वादीगण की ओर।
2. सरकार की ओर से जवाब पेश।

:— निर्णय :—

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी खसरा सं0 238 रकबा 0.6500 हे0, 239 रकबा 0.3300 हे0, 242/385 रकवा 0.1300हे0 कितर 03 कुल रकबा 1.1100हे0 जिसके कि साबिक खसरा नं0 219/1—04 वीघा, 220/1—07 वीघा, 221/0—17 बिस्वा, 222/0—09 बिस्वा, 222/0—10 विस्वा, 223/1—085 बीघा अज किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास में स्थित है। जो आराजी मौजूदा वाद में विवादित आराजी कहलायेगी । वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदीयात संलग्न वाद—पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी में हम वादीगण 1 लगायत 5 का निस्फ हिस्सा अर्थात 1/2 भाग तथा वादी नं0–6 का निस्फ हिस्सा अर्थात 1/2 भाग कब्जा काश्त खातेदारी का है तथा मौका पर इसी प्रकार अर्सा दराज से जायज अज 60–65 सालों से मिन वादीगण व उनके पूर्वज काबिज होकर काश्त पैदावार सम्बन्धित समस्त कार्य करते चले आ रहे है। तथा हम वीदगण पूर्वजो का नाम राजस्व पत्राादि भू–अभिलेख में दर्ज हो रहा है। मुताबिक हिस्सा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। वर्तमान में मौके पर फसल खरीद बाजरा ग्वार काश्त की हुई हैं किसी दीगर व्यक्ति का आराजी उक्त से कोई वास्ता व सम्बन्ध नही हैं , न कभी पहले रहा है। उपरोक्त आराजी हम वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है।

विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजो से बतौर उत्तराधिकारी होने पर हासिल हुई है और जब से गांव चीतधाना बसा है तभी से विवादित आराजी पहले तो वादीगण के पूर्वज बतौर खातेदार काबिज रहे है और उनकी फौतदगी के बाद वर्तमान में वादीगण शान्तिपूर्वक बहैसियत खातेदार काबिज व दखील है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम लागू होते वक्त व उससे पूर्व से आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज काबिज कांश्त थे। जिनके मरने के बाद हम वादीगण बतौर मालिक खातेदार काबिज हैं । वादीगण के पिता पूर्वज भारत–पाक विभाजन के वक्त पाकिस्तान नही गऐ। बल्कि यही पर स्थापित रहे । किन्तु वक्त सैटलमेन्ट भू–प्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारीगण ने मिसल हकीयत कायम करते वक्त वादीगण के पूर्वजो का नाम मुताबिक मौका कब्जा दर्ज नही किया, जबकि जमाबन्दी संवत् 2009 व जमाबन्दी संवत् 2022 से 25 में वादीगण के पूर्वजो का नाम दर्ज रिकार्ड किया हुआ है । ऐसी सूरत में वादीगण मिसल हकीयत संवत् 2029 व उसके बाद बनी जमाबन्दीयो को दुरूस्त कराकर वादीगण के नाम के सामने केवल साकिन दे हके स्थान पर बहैसियत खातेदार विवादित आराजी पर दर्ज कराने के अधिकारी है । चूंकि हाल रिकार्ड जमाबन्दीयात में साकिन देह अंकित होने के कारण वादीगण को उनके विधिक अधिकारो से वंचित होना पड रहा है तथा वादीगण के हितो, ऋण व सरकारी योजनाओं के लाभ से महरूम होना पड रहा हैं । चूंकि वादीगण व उनके पूर्वज आराजी मुतनाजा को निरन्तर काश्त करते व फसल पैदावार लेते आ रहे है जो आराजी वादीगण की दादालाई की पैत्रिक आराजी है। अतः वादीगण की ओर से अपने अधिकरो की रक्षार्थ मौजूदा वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात का वाद न्यायालय श्रीमान में पेंश किया है जो काबिल डिक्री है । नकल जमाबन्दी संवत् 2029,2009,2022 व नकल मिलान क्षेत्रफल व खसरा गिरदावरी संवत् 2026 ला0 2029 संलग्न वादपत्र है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात बाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

अ– करार दिया जावे कि आराजी खसरा नं0 238 रकबा 0.6500 हे0, 239 रकबा 0.3300 हे0, 242/385 रकबा 0.1300हे0 कितर 03 कुल रकबा 1.1100हे0 जिसके कि साबिक खसरा नं0 219/1–04 बीघा, 220/1–07 बीघा, 221/0–17 बिस्वा, 222/0–09 बिस्वा, 222/0–10 बिस्वा, 223/1–085 बीघा अज किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास के वादीगण व उनके पूर्वज काबिज खातेदारान सदैव से काबिज व दखील है। जिनके नाम का अंकन जमाबन्दीयात साबिक व हाल तथा उसके बाद कायम की गई चौसाला जमाबन्दीयात में साकिन देह के आगे खातेदार शब्द जोडा जाकर पूर्व इन्द्राजात को दुरूस्त फरमाया जाकर वाद वादीगण सादिर डिक्री फरमाया जावें।

ब–खर्चा मुकदमा का वादीगण को दिलाया जावें। दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे। अता फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार किशनगढबास पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया पैरोकार सरकाने ने अपने जवाब मे कथन किया कि वादीगण ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये अतः दावा वादी काबिले खारिज है। जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई तथा वादीगण ने साक्ष्य में साहबदीन पीडब्लू–1, समय सिंह पीडब्लू–2, पीडब्लू–3 हिदायत खां, मुन्शीखान पीडब्लू–4, पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सवत 2070 से 2073, प्रदर्श –3 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श– 7, प्रदर्श–8 जमाबंदी सवत 2009, प्रदर्श–10 संवत 2022 से 2025, प्रदर्श–10 नक्शा ट्रैस, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी पेश किये है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया निर्णय तनकीवार निम्नप्रकार से है।

तनकी नं0–1

आया हाल आ0ख0न0 238/0.65, 239/0.33 हे0, 242/385/0.13 हे0 वाके ग्राम चीतघाना जिनके साबिक ख0न0 219/1–04, 220/1–07, 221/0–17, 222/0.09, 222/0–10, 223/1–05 के वादीगण व वादीगण बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिम्मे वादी थी इस तनकी का भार वादी पर था। वादी ने मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 पेश किया जिसमे हाल व साबिक खसरा नम्बरान का मिलान होता है। तथा प्रदर्श –9 जमाबंदी संवत 2009 के बाद की जमाबंदीया में वादीगण के बुजुर्गान तथा बाद मे बह का अंकन हो रहा है। एवं जमाबंदी हाल 2070–73 रहमत पुत्र उम्मेद मेव 1/2 हि0 रोशन साहबदीन हिदायत खां आमीन आसम पि0 भीवा 1/2 स0भा0 कौम मेव सा0देह दर्ज रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

है। परन्तु जमाबंदीयात की में कोई हैसियत यथा गैरखातेदार अथवा खातेदार का अंकन नही हो रहा है। प्रस्तुत जमाबंदीयात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व वादीगण के बुजुर्गान के नाम का अंकन संवत 2012 से पुर्व का है विवादित आराजीयात कभी कस्टोडियन भूमि नही रही ऐसी स्थिति मे वादीगण को खातेदार काश्तकार नही माना जाने का कोई आधार नही है। पैरोकार सरकार ने भी वादीगण के द्वारा किये गये कथन के विरूद्व कोई अन्य रिकार्ड, तथ्य, सबूत पेश नही किया है अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2–

आया आराजी उक्त पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज खातेदार काश्तकार है इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयात संवत 2009 प्रदर्श –6,7,8 के अवलोकन से साबित होता है कि वादीगण के बुर्जुगान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व के ही आराजी विवादित पर काबिज है। जिससे साबित होता है कि विवादित आराजी कभी कस्टोडियन आराजी नही रही । तथा वादीगण आज दिनांक तक आराजी पर काबिज काश्त कर रहे। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0–3

आया भू– प्रबधक विभाग द्वारा गलत रूप से सा0देह लिखकर छोड दिया हैसियत दर्ज नही की जो ताहाल रिकार्ड में सा0देह लिखा हुआ चला आ रहा है। इसलिए वादीगण अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। तनकी नं0 1 के विवेचन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विवादित आराजी सवत 2012 से पूर्व से यानि काश्तकारी अधिनियम 1955 के वक्कू में आने से पूर्व से विवादित आराजीयात वादीगण के बुजुर्गान व वाद मे वादीगण के स्वय के नाम चली आ रही है।ऐसी स्थिति में वादीगण को खातेदार काश्त कार नही माने जाने का कोई आधार नही है। दौराने सेंटिलमेंट भू– प्रबंधक विभाग ने खसरा गिरदावरी सवत 2026 से 2029 में वादीगण पटटेदार लिखा हुआ है जबकि आराजी कस्टोडियन नही थी क्योकि वादीगण के बुर्जुगान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व के ही काबिज काश्तकार है अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नं0–4

आया वादीगण अथवा उनके बुर्जुगान के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार कभी भी दर्ज नही हुआ है वादीगण अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी नही है। वाद काबिल खारिज है। इस तनकी का भार वादीगण पर था । वादीगण द्वारा संवत 2009 से अब तक का रिकार्ड पेश किया है। जिससे यह साबित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से अब तक वादीगण व उसके बुजुर्गान के नाम विवादित आराजी चली आ रही है। आराजी कस्टोडियन नही थी इसलिए वादीगण अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकरी है अतः यह तनकी बहक वादीगण व विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। हाल जमाबंदी ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास के खसरा नं0 आ0ख0न0 238/0.65, 239/0.33 हे0, 242/385/0.13 हे0 पर वादीगण के नाम के आगे खातेदार अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । आदेश सुनाया गया ।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अंधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
105/16	27.7.16	30.3.22

उनवान

1. शाहबदीन पुत्र भीवा ।
2. रोशन खां पुत्र भीवा।
3. हिदायत खां पुत्र भीवा।
4. आमीन खां पुत्र भीवा ।
5. आसमदीन पुत्र भीवा जातियान मेव निवासीयान ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. रहमत खां पुत्र उम्मेद खां जाति मेव निवासी ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक अन्तर्गत धारा
88,89 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः— 1.श्री रतिराम चौधरी वकील वादीगण की ओर।
2. सरकार की ओर से जवाब पेश।

:— पर्चा डिकीः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाता है। हाल जमाबंदी ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास के खसरा नं0 आ0ख0न0 238/0.65, 239/0.33 हे0, 242/385/0.13 हे0 पर वादीगण के नाम के आगे खातेदार अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया ।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

Scanned with OKEN Scanner